Handbook for Schools

ELECTORAL LITERACY CLUBS

"I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand"
-Confucius

इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का उद्देश्य

- लक्ष्य-समूह को मतदाता पंजीकरण, चुनाव-प्रक्रिया और अन्य सम्बन्धित बातों के बारे में व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से शिक्षित करना;
- प्रतिभागियों को ई.वी.एम. और वी.वी.पैट. से परिचित कराना और उन्हें ई.वी.एम. की मजबूती और ई.वी.एम. का प्रयोग करके सम्पन्न होने वाली चुनाव-प्रक्रिया की विश्वसनीयता के बारे में बताना;
- अपने वोट का महत्त्व समझने में लक्ष्य-समूह की मदद करना, साथ ही, वे अपने मताधिकार का प्रयोग पूरे विश्वास के साथ, सुविधाजनक तरीके से तथा नैतिकता के साथ कर सकें, इसमें उनकी सहायता करना;
- निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य समुदाय में निर्वाचन साक्षरता का प्रसार कर सकें, इसके लिए उनकी क्षमता-वृद्धि करना;
- जो सदस्य 18 वर्ष की आयु के हो जाएँ, उन्हें मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराने में मदद करना;
- चुनावों में भागीदारी करने और सोच-समझकर व नैतिकता के साथ वोट देने की संस्कृति विकसित करना, साथ ही, इस सिद्धान्त का पालन करने पर जोर देना कि 'हर वोट महत्त्वपूर्ण है' तथा 'कोई मतदाता न छूटे'।

क्लब के सदस्य

निर्वाचन साक्षरता क्लब हर कक्षा व वर्ग (सेक्शन)के लिए होगा।यद्यपि हर विद्यालय-श्रेणी के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब भिन्न होंगे, और गतिविधियों का जो संग्रह होगा, वह खास तौर पर उस श्रेणी विशेष के लिए ही होगा, पर हर श्रेणी के विभिन्न वर्गों के लिए गतिविधियाँ एक जैसी होंगी। निर्वाचन साक्षरता क्लब एक निश्चित कक्षा / सत्र में कक्षावार गतिविधियाँ संचालित करेगा। कक्षा के सभी विद्यार्थी निर्वाचन साक्षरता क्लब के सदस्य होंगे।

कार्यकारिणी समिति

विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे निर्वाचन साक्षरता क्लब को कार्यकारिणी समिति के एक निर्वाचित समूह के माध्यम से चलाएँ, जिसमें हर वर्ग (सेक्शन) के चुने हुए प्रतिनिधि हों। इन चुने हुए प्रतिनिधियों का दायित्व होगा- निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियों का आयोजन करना। वे विद्यालय के नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन और देखरेख में व उनकी सलाह से काम करेंगे। विकल्प के रूप में, विद्यालय अपने शिक्षकों के माध्यम से भी गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं, जो कक्षा के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करेंगे।

नोडल अधिकारी / मेन्टर

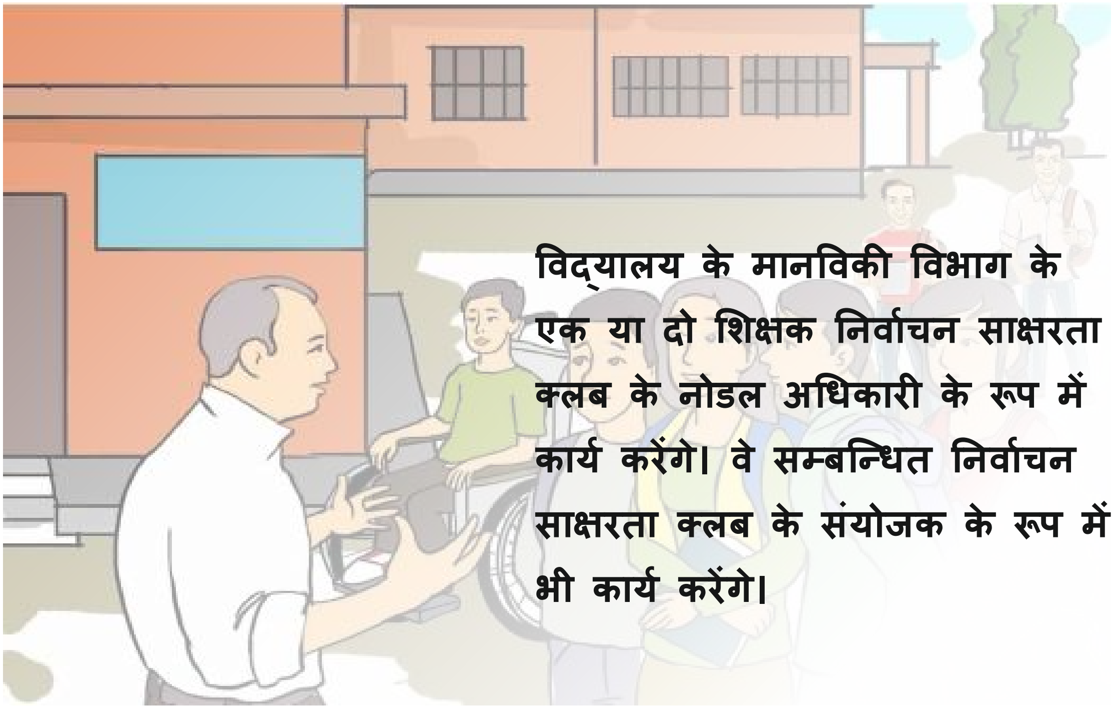

विद्यालय के मानविकी विभाग के एक या दो शिक्षक निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे सम्बन्धित निर्वाचन साक्षरता क्लब के संयोजक के रूप में भी कार्य करेंगे।

उनके मुख्य दायित्व होंगे-

- जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, उससे समन्वयन करना। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए निर्वाचन साक्षरता के संसाधन ऑनलाइन या किसी अन्य तरीके से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जाएँगे।

- विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करने वाले शिक्षकों के लिए निर्दिष्ट संसाधनों / उपकरणों / साधनों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

- निर्वाचन साक्षरता क्लब की गतिविधियाँ संचालित करने के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन करना

एक मतदाता के रूप में पंजीयन करने के लिए आपको होना चाहिए

18 वर्ष या उससे अधिक आयु

1st
18 years of age on qualifying date

An Indian citizen

एक भारतीय नागरिक

मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी

Resident of polling area

पंजीकरण के लिए

चुनाव संबंधित
पूछताछ के लिए
हेल्पलाइन
1950
पर कॉल करें

ऑनलाइन

www.voters.eci.gov.in

Voter Helpline mobile app

ऑफलाइन

अपने बीएलओ से संपर्क करें

मतदाता सुविधा केंद्र

वोटर हेल्पलाइन एप

पंजीकरण और चुनाव संबंधी सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें

अपनी मतदाता सूचना पर्ची जनरेट करें

मतदाता सूची में वोटर हेल्प लाइन एप के माध्यम से पंजीकरण हेतु निम्न विडियो देखें

http://tiny.cc/VHA

वोटर हेल्पलाइन एप

अपने मोबाइल पर VHA एप को खोलें।

मतदाता सूची में नाम देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।
यहां अपना नाम, वोटर आईडी नम्बर, बारकोड, क्यूआर कोड अथवा अपना पूरा विवरण भरकर जाना जा सकता है

पोलिंग बूथ को जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।

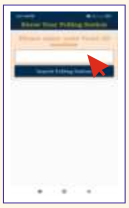

अपना वोटर आईडी नम्बर डालकर
अपने पोलिंग स्टेशन को जानें।

Saksham-ECI

Saksham-ECI

अधिगम्यता सुविधाएं

अपने आप को दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हित करें

नए दिव्यांग मतदाता के लिए आवेदन करें

व्हीलचेयर के लिए आवेदन करें

दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं

- रैंप और व्हीलचेयर
- दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश में प्राथमिकता
- ब्रेल वाली ईवीएम
- सांकेतिक भाषा
- विशेष स्वयंसेवक
- दिव्यांग मतदाताओं के लिए परिवहन सुविधा

c-Vigil

यदि आप आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कोई निम्नलिखित घटना देखते हैं, तो आप C-Vigil ऐप के माध्यम से इसकी रिपोर्ट कर सुनिश्चित कर सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे।

1. झूठी खबरें
2. संपत्ति को नुकसान
3. पैसे वितरण
4. शराब व नशीले पदार्थों का वितरण
5. हथियारों का प्रदर्शन
6. धमकी
7. साम्प्रदायिक वैमनस्य भाषण
8. पेड न्यूज़
9. मुफ्त वस्तुओं का वितरण (Freebies)
10. मुफ्त परिवहन

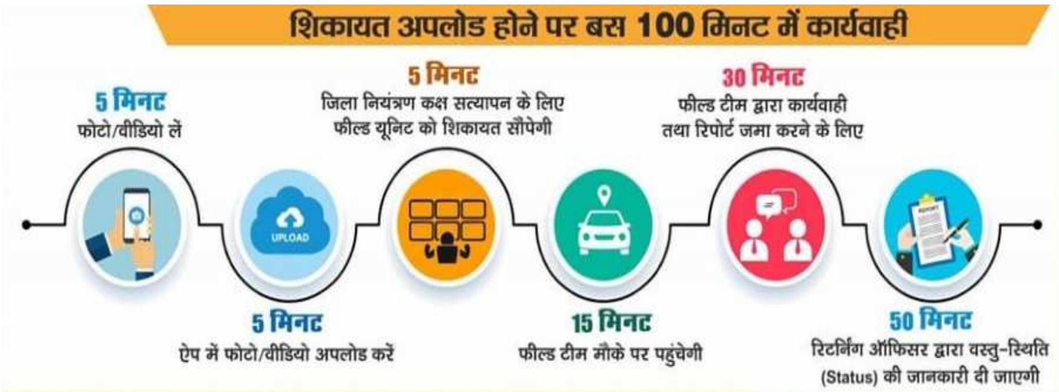

वोटर आईडी के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज

1. 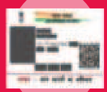 आधार कार्ड
2. पासपोर्ट
3. 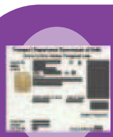 ड्राईविंग लाइसेंस
4. सेवा पहचान पत्र
5. फोटोयुक्त पासबुक बैंक/पोस्ट ऑफिस
6. पैन कार्ड
7. यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID)
8. 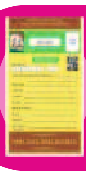 मनरेगा जॉब कार्ड
9. स्वास्थ्य बीमा कार्ड (श्रम विभाग द्वारा जारी)
10. फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज
11. 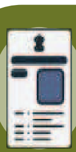 एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी आईडी कार्ड
12. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

बूथ पर उपलबध सुविधाएं

1. मतदाता सहायता केन्द्र
2. पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग कतार
3. बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों को प्राथमिकता से मतदान
4. दिव्यांगजनों के लिए रेम्प एवं व्हील चेयर की सुविधा
5. प्रतीक्षारत मतदाताओं के लिए बैठने की सुविधा
6. दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल मतदाता सूची व बैलट यूनिट सुविधा
7. बुजुर्ग एवं दिव्यांगजन मतदाताओं की सहायता हेतु वॉलेंटियर
8. प्रतीक्षा के लिए छायादार स्थान
9. पीने का पानी
10. शौचालय

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) एवं मतदाता वेरिफॉयबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) द्वारा वोट करने की प्रक्रिया

पेपर पर्ची VVAT की पारदर्शी खिड़की के माध्यम से मशीन देखी जा सकेगी। यह पर्ची मतदाता को उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी।

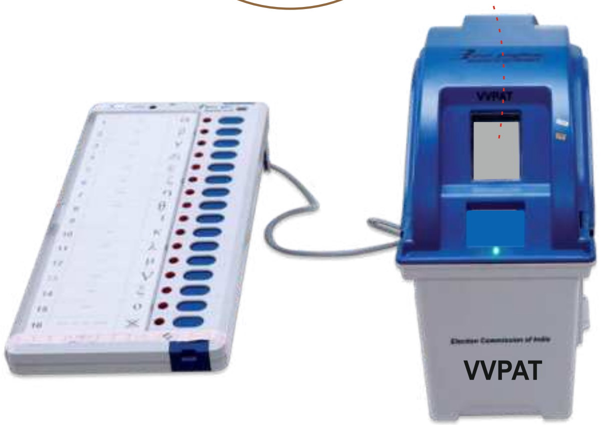

1

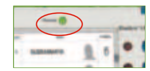

मतदान केन्द्र में स्थित मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश करने के समय मतदान अधिकारी बैलेट यूनिट को मत देने के योग्य बनाएगा। ईवीएम मशीन पर हरी बत्ती जलने के पश्चात वोट डालने के लिए तैयार है।

2

ईवीएम मशीन के बैलेट यूनिट पर अंकित अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने स्थित नीले बटन को दबायें।

3

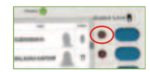

वोट डालने पर सबंधित उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित लाल बत्ती जल जायेगी।

4

वीवीपैट मशीन पेपर पर्ची प्रिंट करेगी, जिसमें आपके द्वारा चुनें गए उम्मीदवार का नाम, क्रमांक एव चुनाव चिन्ह अंकित होगा।

मतदाता कृप्या ध्यान देवें

5

वह पेपर पर्ची 7 सैकण्ड के लिए दिखाई देगी, उनके बाद अपने आप कटकर प्रिन्टर के ड्रॉप—बॉक्स में चली जाएगी तथा बीप की आवाज सुनाई देगी यदि पेपर पर्ची दिखाई ना दे या बीप की आवाज सुनाई ना दे तो पीठासन अधिकारी से सम्पर्क करें

6

यदि आप किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहते है तो अंतिम क्रमांक पर अंकित "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) के सामने स्थित नीले बटन को दबाएँ

इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब गतिविधियाँ

चुनाव पत्रिका

चुनाव पत्रिका के पीछे विचार यह है कि निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित सूचनाओं और संदेशों को मनोरंजक, कल्पनाशील और रोचक ढंग से प्रस्तुत करके लोगों तक पहुँचाया जाए। साथ ही, इसे तैयार करने में सभी विद्यार्थियों को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

इस काम के लिए विद्यालय के किसी मुख्य हिस्से की दीवार का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे 'निर्वाचन साक्षरता दीवार' कहा जाएगा। दीवार पर निर्वाचन साक्षरता से सम्बन्धित विभिन्न विषय-सामग्री प्रदर्शित की जाएँगी। यह सामग्री दीवार पर चिपकाई जा सकती है या पिन की मदद से लगाई जा सकती है या, रंगों से लिखी भी जा सकती है।

विद्यालय प्रशासन विद्यालय के गलियारे / बरामदे में कोई दीवार या डिस्प्ले बोर्ड दीवार पत्रिका के लिए आवंटित करेगा। दीवार पत्रिका का थीम / मुख्य

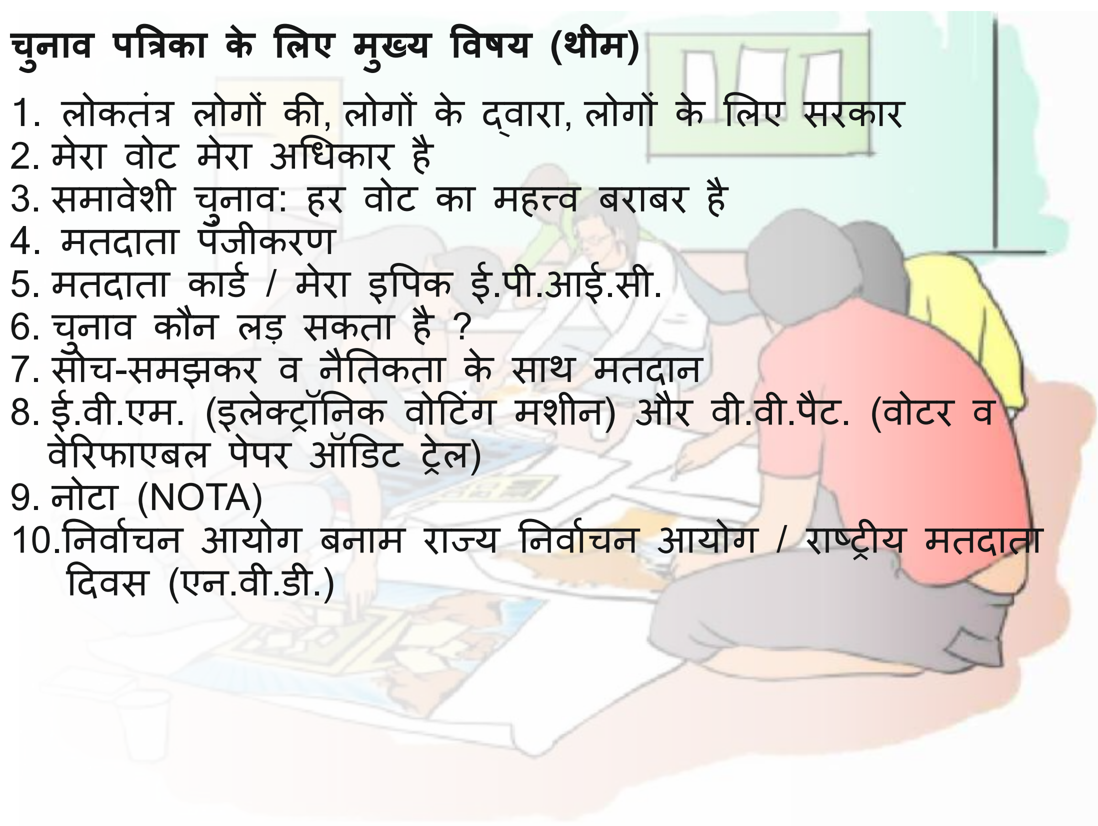

चुनाव पत्रिका के लिए मुख्य विषय (थीम)

1. लोकतंत्र लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार
2. मेरा वोट मेरा अधिकार है
3. समावेशी चुनाव: हर वोट का महत्त्व बराबर है
4. मतदाता पंजीकरण
5. मतदाता कार्ड / मेरा इपिक ई.पी.आई.सी.
6. चुनाव कौन लड़ सकता है ?
7. सोच-समझकर व नैतिकता के साथ मतदान
8. ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और वी.वी.पैट. (वोटर व वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल)
9. नोटा (NOTA)
10. निर्वाचन आयोग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग / राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एन.वी.डी.)

पंजीकरण पर क्षेत्र-कार्य

पंजीकरण प्रक्रिया पर आधारित, क्षेत्र में की जाने वाली यह गतिविधि मतदाता शिक्षा में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए विद्यार्थियों के रास्ते को सुगम बनाती है। विद्यार्थी पहले तो मुख्य-मुख्य बातें सीखेंगे, जैसे- मतदाता सूची, पंजीकरण से सम्बन्धित विभिन्न फॉर्म, ई.सी.आई(voters.eci.gov.in)पोर्टल आदि, और उसके बाद अपने नजदीकी पड़ोसियों को पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी देंगे।

(गर्मियों की छुट्टी के लिए गतिविधि)

स्टेप अप

स्टेप अप बिना सीधे सम्पर्क के आपसी संवाद का एक खेल है, जिसका उद्देश्य है- उन चुनौतियों के बारे में समझ पैदा करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, जिनका सेवाओं तक पहुँचने के लिए समाज के कुछ वर्गों को सामना करना पड़ता है। साथ ही, विद्यार्थियों को उनका समाधान देने के लिए तैयार करना।

विद्यार्थियों को अलग-अलग भूमिकाएँ सौंपी जाती हैं, उन्हें इस भूमिका पर आधारित साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर 'हाँ' / 'नहीं' में हो। इस खेल का उद्देश्य प्रतिभागियों को स्वयं अनुभव करके सीखने का मौका देना है, क्योंकि वे जिस भूमिका को निभा रहे हैं, उसकी समस्याओं को अपने मन में अंकित कर लेंगे। फिर उस समस्या से निपटने का अनुभव प्राप्त कर लेंगे।

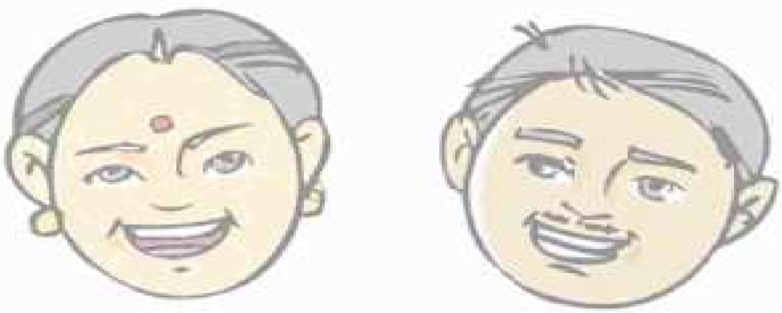

चित्र और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता

यह प्रतियोगिता चुनावों और प्रतिनिधि लोकतंत्र पर आधारित विषयों पर होगी। विषयों के कुछ उदाहरण हैं:

- हर वोट महत्त्वपूर्ण है
- कोई मतदाता न छूटे
- मजबूत लोकतंत्र के लिए अधिकतम भागीदारी
- सोच-समझकर और नैतिकता के साथ मतदान
- सबके लिए सुलभ चुनाव